बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06–विविध–51/2014 /खाद्य, पटना/दिनांक–

प्रेषक,

रमाशंकर प्र0 दफ्तुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
(लखीसराय, पूर्वी चम्पारण, शेखपुरा, मुंगेर, नालंदा, खगड़िया, रोहतास, किशनगंज, भोजपुर, बेगूसराय, सहरसा, बांका, गोपालगंज, पूर्णिया, बक्सर एवं वैशाली को छोड़कर) ।

विषय :– राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आच्छादित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र सं0– 1514 दिनांक 19.02.2015 एवं पत्र सं0– 3392 दिनांक 28.04.2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभागीय संकल्प सं0– 9493 दिनांक 22.12.2014 के आलोक में उपलब्ध कराये गये सूची के आधार पर जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र गृहस्थियों/व्यक्तियों की संख्या के साथ खाद्यान्न की अधियाचना उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया था जो अबतक आपसे अप्राप्त है ।

उक्त डाटा में से जिलान्तर्गत पहचान किये गये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों/गृहस्थियों हेतु भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त किया जाना है ।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उपलब्ध कराये गये सूची के आधार पर जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों/गृहस्थियों की संख्या के साथ खाद्यान्न की अधियाचना लौटती फैक्स से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि उक्त श्रेणी के लाभुकों को अविलंब खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सकें।

विश्वासभाजन
ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक – प्र06–विविध–51/2014 4191 /खाद्य, पटना/दिनांक–26.05.15

प्रतिलिपि – सभी संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/अपर जिला दंडाधिकारी, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/5/15

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\...\YEAR-2015\...\SEC-06-...\VIVIDH-...doc